

डाक द्वारा आपातकालीन मतदान

चुनाव से पूर्व आखिरी (6) दिनों में और चुनाव के दिन जारी किये जाने वाले डाक द्वारा मतदान के मतपत्रों को डाक द्वारा मतदान के आपातकालीन मतपत्र कहा जाता है। ये मतपत्र डाक द्वारा जारी **नहीं किये जा सकते** हैं।

डाक द्वारा मतदान का आपातकालीन मतपत्र प्राप्त करने के लिये, मतदाता या मतदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउन्टी क्लर्क को एक लिखित अनुरोध देना चाहिये।

अनुरोध में नीचे दिये गये प्रपत्र पर दर्शायी गयी जानकारी शामिल होनी चाहिये।

डाक द्वारा आपातकालीन मतदान सम्बन्धी आवेदन-पत्र

(चुनाव संहिता धारा 3021)

सेवा में: LOS ANGELES काउंटी रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउन्टी क्लर्क

_____ को होने वाले चुनाव के दिन, मैं अपने मतदान स्थल पर जाने में समर्थ नहीं हो पाऊँगा और मैं

_____ को मेरा मतपत्र प्राप्त करने और उसे मुझे सौंपने के लिये अधिकृत करता हूँ।

मैं समझता हूँ कि इस मतपत्र को डाक से नहीं भेजा जा सकता बल्कि इसे चुनाव के दिन शाम 8 बजे से पहले चुनाव अधिकारी को या Los Angeles काउंटी में किसी भी मतदान स्थल पर वापस लौटा दिया जाना चाहिये।

मतदाता का नाम स्पष्ट अक्षरों में:

मतदाता का पता स्पष्ट अक्षरों में:

शहर और ज़िप कोड:

मैं झूठी गवाही के दंड के तहत प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती कथन सत्य और सही हैं।

मतदाता यहाँ पर हस्ताक्षर करें:

मेरे द्वारा आज _____, 20_____ की _____ तारीख को _____, California में निष्पादित किया गया।

मतपत्र प्राप्त करने के लिये अधिकृत किये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर:

(चुनाव से पूर्व आखिरी 6 दिनों में और चुनाव के दिन जारी किये जाने वाले) डाक द्वारा मतदान के आपातकालीन मतपत्र सम्बन्धी प्रावधानों के उद्देश्यों के लिये, अधिकृत प्रतिनिधि मतदाता के रिश्तेदार तक सीमित नहीं है।



County of Los Angeles Registrar-Recorder/County Clerk, 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650 USA